न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :— रोहित कुमार R.A.S.

राजस्व प्रकरण सं. 84/2020

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
रामलाल पुत्र मुकनाराम जाति विश्नोई डोलीकला तह. पचपदरा		ग्राम पंचायत डोली कलां

दिनांकः 08.09.2020

आदेश

उपस्थित :—

श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

श्री भंवरलाल विश्नोई अधिवक्ता विप्रार्थी की ओर से

प्रार्थी ने न्यायालय में वर्तमान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए. आर.टी.ए का इस आशय का पेश किया, जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न हैं, सरहद मौजा डोली कलां के खसरा सं. 315 के जुड़ते कटाण रास्ते से खसरा सं. 542/304 तक रास्ता कृषि उपयोग करने के इरादे से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे दर्शाए मार्क 'अ' से 'ब' तक बरंग लाल के रास्ता चौड़ा 20 फीट गावं डोली कलां के कटाण रास्ता के जुड़ते खसरा सं. 315 से अपना खेत खसरा संख्या 542/304 तक आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु घोषित करवाने हेतु वर्तमान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया, विप्रार्थी की ओर से जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि यदि प्रार्थी को खसरा सं. 315 की भूमि में से रास्ता दिया जाता है, तो प्रार्थी राज्य सरकार के लिये राज कोष में डी.एल.सी. रेट से दोगुनी राशि जमा करवाये तो विप्रार्थी ग्राम पंचायत को आपत्ति नही है।

उसके बाद तहसीलदार पचपदरा से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु जरीये तहरीर कमांक /राज/वाद/2020/4058 दिनांक 20.08.2020 से चाही गई,जिसकी पालना में पटवारी पटवार हल्का डोली व आई.एल.आर. डोली ने दिनांक 24.08.2020 को मौका रिपोर्ट रूबरू पक्षकारान, मोतबिरान तैयार की, मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया कि मौके पर खसरा सं. 315 की जो बिन्दु 'ए' से बी नक्शे में दर्शित की गई है, मौके पर जो रास्ते के रूप में काम आ रही है, बिन्दु ए से बी की लम्बाई 28 गटटा व चौड़ाई 3 गटटा है, परिशिष्ट अ में वर्णित मार्क ए से बी का कुल क्षेत्रफल 04 विस्वा बनता है, कटाण रास्ते पर असिचिंत भूमि की डी.एल.सी. दर प्रतिबीघा 56,640/— रूपये है, उक्त मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा जरीये पत्र कमांक/राजस्व/2020/ 1722 दिनांक 27.08.2020 को प्रेषित की, जो दिनांक 02.09.2020 को प्राप्त हुई।

हमने उपस्थित प्रार्थी व विप्रार्थी अधिवक्ता को सुना, पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात, जमाबंदी खतौनी एवं नक्शा किश्तवार, मौका रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया।

प्रार्थी अधिवक्ता ने माफिक इस्तदुआ प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया ।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

....2..

Scanned by CamScanner

मौका फर्द का अवलोकन करने से यह तथ्य सामने आया कि सरहद मौजा डोलीकला में प्रार्थी के खातेदारी की कृषी भूमि खसरा सं. 542/304 रकबा 08.04 बीघा किस्म बारानी प्रथम आई हुई है, जिसके उपयोग, कृषी आवागमन के लिये कोई रास्ता नही है, प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट अ में वर्णित मार्क अ से ब निकटतम दुरी का रास्ता है, धारा 251 ए की मंशा भी काश्तकार को निकटतम दुरी का रास्ता उपलब्ध कराने की है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सरहद मौजा सरहद मौजा डोली कला में प्रार्थी के खातेदारी की कृषी भूमि खसरा सं. 542/304 रकबा 08.04 बीघा किस्म बारानी प्रथम में आवागमन के लिये खसरा सं. 315 में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा परिशिष्ट अ में वर्णित मार्क अ से ब 3 गटटा चौड़ा व 28 गटटा लम्बाई में रास्ता घोषित किया जाता है, रास्ते हेतु कुल 04 बिस्वा भूमि उपयोग होगी, डीएलसी रेट प्रतिबीघा 56,640/– रूपये बताई है, जिसके अनुसार 04 विस्वा के क्षतिपुर्ति की राशि रूपये 11,328 रूपये बनते है, दो गुना राशि यानि 22,656/– रूपये प्रार्थी बतौर क्षतिपुर्ति राजकोष में तहसीलदार पचपदरा के यहां जमा करावे, जमा होने पर भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है, कि खसरा सं. 315 मौजा डोलीकला में से 04 विस्वा भूमि रास्ते के रूप में राजस्व रेकर्ड जमाबंदी, नक्शा लटटा ट्रेस में अमल दरामद करें, नक्शा परिशिष्ट 'अ' निर्णय का भाग समझा जाकर साथ पढा जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हों।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(रोहित कुमार)
उपखण्ड़ अधिकारी (S.D.O.),
बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज खुले न्यायालय में तारीख 08.09.2020 को सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(रोहित कुमार)
उपखण्ड़ अधिकारी (S.D.O.),
बालोतरा

Scanned by CamScanner